न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 33 / 2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/ 36)

1. घड़सीराम पुत्र रिद्धकरण, जाति गुर्जर, निवासी चूरू, तहसील व जिला चूरू।
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सुरजमल जाति गुर्जर, निवासिनी चूरू।
3. राजकुमार पुत्र श्री रिद्धकरण, जाति गुर्जर निवासी चूरू।
4. शंकर लाल पुत्र श्री रिद्धकरण, जाति गुर्जर निवासी चूरू।
5. अमर सिह पुत्र श्री रिद्धकरण, जाति गुर्जर निवासी चूरू।
6. हनुमान सिह पुत्र श्री रिद्धकरण, जाति गुर्जर निवासी चूरू।
7. भगवान सिह पुत्र श्री रिद्धकरण, जाति गुर्जर निवासी चूरू।
8. श्रीमती जीवणी देवी पत्नी स्व. रिद्धकरण जी गुर्जर निवासी चूरू।
समस्त निवासीगण चूरू, तहसील व जिला चूरू (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. नगरपालिका, रतननगर जरिये अधिशाषी अधिकारी।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 07.10.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने जिला कलक्टर चूरू में इन्तकाल प्रविष्टि सं. 1623 दिनांक 14.09.2018 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि रतननगर नगरपालिका द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.02.2021 के अनुरण में खसरा सं. 1362 / 632 की 0.4578 हैक्टेयर भूमि को जो नामान्तकरण नगरपालिका रतननगर के नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट किया गया है उसे अपास्त करते हुए तहसीलदार को निर्देश प्रदान किये जावे कि उक्त भूमि वापिस स्व. रिद्धकरण के उत्तराधिकारीगण के

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नाम वापस राजस्व कृषि भूमि दर्ज की जावे। तथा अपीलान्ट्स के पिता द्वारा जमा करवाई गई राशि को अपीलान्ट्स को वापिस लौटा देवे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 30.09.2021 अपीलान्ट्स की अपील खारिज कर नामांतरण सं. 1623 दिनाक 14.09.2018 के द्वारा वर्णित प्रविष्टि यथावत रख दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं पर बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट्स के पिता के नाम एक कृषि भूमि खसरा सं. 1362/632 तादादी 3 बीधा 9 बिस्वा अवस्थित थी जिसमे से 0.4578 हैक्टेयर अपीलान्ट्स के पिता गैर कृषि प्रयोजनों के लिये नगरपालिका रतननगर को दिनांक 29.01.2018 को आवेदन किया। उक्त आवेदन पत्र पर तहसीलदार चूरू द्वारा समस्त प्रकार के नियमो के तहत कार्यवाही करते हुए कृषि भूमि परिर्वतन की कार्यवाही पत्रावली को स्वीकृत कर अपनी अनुशंषा सहित नगरपालिका रतननगर को प्रेषित की। नगरपालिका रतननगर द्वारा तहसीलदार चूरू की अनुशंषा के आधार पर दिनांक 11.05.2018 को एक पत्र संख्या 438 जारी कर तहसीलदार चूरू को निवेदन किया कि श्री रिद्धकरण द्वारा अपनी कृषि भूमि खं. सं. 1332/632 मे से अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित करवाने वाली भूमि 0.4578 हैक्टेयर को रिद्धकरण गुर्जर की खातेदारी हटाते हुए नगरपालिका रतननगर के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जावे। और शेष भूमि पूर्ववत खातेदारी में रखी जावे। उक्त आदेश पर तहसीलदार के निर्दशानुसार दिनांक 14.09.2018 को नामान्तरणकरण रजिस्टर में प्रविष्टि सं. 1623 के द्वारा नगरपालिका रतननगर के नाम से राजस्व अभिलेख मे दर्ज किया गया तथा इस भूमि के खं. सं. 1449/1362 हो गये और शेष भूमि जो रिद्धकरण के नाम से रही उसके खं. सं. 1450/1362 एवं 1451/1362 हो गये। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के एकल पट्टा जारी किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली नगरपालिका रतननगर द्वारा प्रेषित की गई थी इसी

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दौरान दिनाक 05.11.2020 को अपीलान्ट्स के पिता का देहावसान हो गया। परिणामस्वरूप एकल पट्टा जारी किये जाने की स्वीकृति पत्रावली पर कोई कार्यवाही नही हो सकी। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.09.2021 निरस्त करते हुए रतननगर नगरपालिका द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.02.2021 के अनुसरण में ख. नं. 1362/632 की 0.4578 हैक्टेयर भूमि जो नामान्तरणकरण नगरपालिका रतननगर के नाम से राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट किया गया है उसे अपास्त करते हुए तहसीलदार चूरू को निर्देश प्रदान किये जावे कि उक्त 0.4578 हैक्टेयर भूमि वापिस स्व. रिद्धकरण गुर्जर के उत्तराधिकारीगण के नाम वापस राजस्व कृषि भूमि दर्ज की जावे। साथ ही नगरपालिका रतननगर को यह आदेश जारी किया जावे कि तथा अपीलान्ट्स के पिता द्वारा जमा करवाई गई राशि को अपीलान्ट्स को वापिस लौटा देवे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट सं. 2 नगरपालिका रतननगर जिला चूरू ने अपने पत्र क्रमांकः 1669 दिनांक 06.09.2022 द्वारा जवाब भिजवाकर अंकित किया कि खसरा नं. 1362/632 में क्षेत्रफल 0.8726 में से 0.4578 भूमि नगरपालिका के नाम से दर्ज की गई भूमि को पुनः राजस्व में रिद्धकरण गुर्जर के वारिसान के नाम से पुनः राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार को पत्रांक 3238 दिनांक 03.11.2021 के द्वारा लिखा जा चुका है। अतःआवेदक की मांग अनुसार उक्त भूमि पुनः राजस्व रिकार्ड में रिद्धकरण गुर्जर के वारिसानो के नाम से दर्ज की जाती है तो नगरपालिका रतननगर को कोई आपत्ति नही है।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रतननगर के आदेश क्रमांक 1623 दिनांक 14.09.2018 के अनुसरण में ग्राम रतननगर के ख. नं.

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1362/632 की 0.4578 हेक्टेयर रूपान्तरित भूमि को वापस कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा दर्ज नही करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर महोदय चूरू में अपील प्रस्तुत की जो कि निर्णय दिनांक 30.09.2021 के द्वारा खारिज कर दी गई। वास्तव में अपीलान्ट के पिता स्व. रिद्धकरण के द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का रूपान्तरण धारा 90 ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करवाये जाने पर जरिये नामान्तकरण सं. 1623 दिनांक 14.09.2018 से रूपान्तरित भूमि नगर पालिका रतननगर के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात खातेदारान की ओर से उक्त रूपान्तरित भूमि का उपयोग कृषि भूमि दर्ज करने हेतु किये जाने का निवेदन अधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगर पालिका रतननगर से करने पर उनके द्वारा उक्त रूपान्तरित भूमि खातेदार के नाम दर्ज करने का पत्र तहसीलदार चूरू के नाम जारी किया जो कि राजस्व विभाग एव स्वायत शासन विभाग के नियमो व प्रावधानो के अनुरूप है। अर्थात खातेदार को अपनी रूपान्तरित भूमि को पुनः कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु भूमि को कृषि (खातेदारी) दर्ज करवाने का अधिकार है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने भी अपने जवाब मे यही अंकित किया है कि खसरा नं. 1362/632 में क्षेत्रफल 0.8726 में से 0.4578 भूमि नगरपालिका के नाम से दर्ज की गई भूमि को पुनः रिद्धकरण गुर्जर के वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो नगरपालिका रतननगर को कोई आपत्ति नही है। जहा तक स्व. रिद्धकरण द्वारा रूपान्तरण हेतु राशि जमा करवाई गई का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में स्वायत शासन विभाग के आदेश/परिपत्रो के आधार पर नगर पालिका रतननगर निर्णय लेवे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार चूरू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि खातेदार के वारिसान की जांच कर रूपान्तरित भूमि का नामान्तकरण खातेदारी दर्ज करे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।